प्रेस नोट

दिनांक 07.08.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2025 को आवेदक के द्वारा अपनी 08 वर्षीय पुत्री के साथ उपस्थित थाना राठ आकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया गया कि उसके गांव के ही 40 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम बृजनन्दन पुत्र परमानन्द निवासी थाना राठ जनपद हमीरपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

इसी क्रम मे आज दिनांक 07.08.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना राठ पुलिस थाना क्षेत्र अन्तर्गत मामूर थी कि इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दुष्कर्म के मुकदमे का वांछित अभियुक्त कांशीराम कॉलोनी श्यावरी रोड़ के पास मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच कर घेराबंदी की गई, अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त बृजनन्दन पुत्र परमानन्द के बांये पैर में गोली लगी। अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा कारतूस अवैध 315 बोर, बरामद करते हुए घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजवाया गया।

आज हुई मुठभेड के सम्बन्ध में थाना राठ जनपद हमीरपुर पर अभियुक्त बृजनन्दन (उम्र करीब 40 वर्ष) के विरुद्ध (पुलिस मुठभेड) व आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया जा रहा है।

बरामदगी

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस , 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0 निरी0 थाना राठ राम आसरे सरोज
2. उ0नि0 दीपक पटेल थाना राठ
3. उ0नि0 सुरेंद्र पटेल थाना राठ
4. उ0नि0 रोहित साहू थाना राठ
5. हे0का0 बृजेंद्र सिंह थाना राठ
6. का0 अभिषेक राजपूत थाना राठ
7. का0 राहुल कुमार थाना राठ
8. का0 कृष्ण चौहान थाना राठ